

Mandatory Public Disclosure

A : GENERAL INFORMATION :

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	BGS VIJNATHAM SCHOOL
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	2133804
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	61508
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	GREATER NOIDA WEST, DIST. GAUTAM BUDH NAGAR, U.P.-203207, GAUTAM BUDH NAGAR , UTTAR PRADESH - 203207
5	PRINCIPAL NAME	MINAKSHI KHURANA
6	PRINCIPAL QUALIFICATION	M.A B.Ed
7	SCHOOL EMAIL ID	principal@bgsvijnatham.com
8	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	9999096820

B : DOCUMENTS AND INFORMATION:

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	https://www.bgsvijnatham.com
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	https://www.bgsvijnatham.com
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	https://www.bgsvijnatham.com
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	https://www.bgsvijnatham.com
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	https://www.bgsvijnatham.com
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	https://www.bgsvijnatham.com
7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	https://www.bgsvijnatham.com
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	https://www.bgsvijnatham.com

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.

C : RESULT AND ACADEMICS :

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	https://www.bgsvijnatham.com
2	ANNUAL ACADEMIC CALENDER	https://www.bgsvijnatham.com
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	https://www.bgsvijnatham.com
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	https://www.bgsvijnatham.com
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	https://www.bgsvijnatham.com

D : STAFF (TEACHING) :

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	MINAKSHI KHURANA

2	TOTAL NO. OF TEACHERS	32
	PGT	00
	TGT	8
	PRT	20
3	TEACHERS SECTION RATIO	1:1.5
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	Neha Arora
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER	Aayushi Patni Jain

RESULT CLASS: X

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

RESULT CLASS: XII

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

E : SCHOOL INFRASTRUCTURE:

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR)	60000
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR)	45 & 75
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	7 & 75
4	INTERNET FACILITY	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	8
6	NO. OF BOYS TOILETS	8
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	https://www.bgsvijanatham.com

SELF - CERTIFICATION PROFORMA

Category of application : Upgradation to Senior Secondary Level

I (i) MINAKSHI KHURANA (Principal) of the school BGS VIJNATHAM SCHOOL certify that :

- 1 The following uploaded documents are genuine and valid
- * No Objection Certificate No.: NA
- * Trust/Society/Company Registration No.: 891/73-74
- * Trust/Society/Company Registration Issuing Authority : Sub Registrar
- * Recognition Certificate No.: 16732-34 9302-03
- * Recognition Issuing Authority : BSA
- * Recognition Expiry Date:
- * Fire Safety Certificate No.: 10978
- * Fire Safety Certificate Issuing Authority : CFO
- * Fire Safety Certificate Expiry Date: 25/09/2024
- * Building Safety Certificate No.: 285
- * Building Safety Certificate Issuing Authority : Assistant Engg
- * Building Safety Certificate Expiry Date: 13/12/2037
- * Land Certificate No: 2740
- * Land Certificate Issuing Authority: Equivalent Land Authority
- * Land Certificate is in name of School/Society/Trust/Company duly signed by authorized signatory
- * Water and Sanitation Certificate No.: 399 1163
- * Water and Sanitation Issuing Authority: JAL and Health Department
- * Date of Issue of Water and Sanitation Certificate: 19/09/2022
2. That mandatory disclosure has been displayed on the school's website and it's link has been filled in the Part A of the application
3. That as per norms sufficient numbers of room/s and well equipped Laboratories for Physics, Chemistry, Biology are for available for senior secondary classes.
4. That we have uploaded/submitted all the self-attested documents/ information on the School's Web-Portal and link in the application and the same are true and genuine.
5. Submission of wrong system Generated DEO Certificate / Self-undertaking Certificate or deliberate misrepresentation or fraud may result in summarily rejection of Application.
6. Submission of fraudulent/deliberate misrepresentation/fraud undertaking with intent to obtain affiliation through wrongful means may also lead to penal action against Principal, Manager and authorized signatory of Society.

Name and Signature(s) :

Uthurana

MINAKSHI KHURANA

Principal

Anandanatha Swamiji

Sri Anandanatha Swamiji

Authorized signatory of Trust/Society/Company

Kalyan

Manager/ Authorized Signatory

BGS Vijnatham School

SECRETARY

Date : 07/11/2022

Place : GAUTAM BUDH NAGAR , UTTAR PRADESH

BGS VIJNATHAM SCHOOL

BGS VIJNATHAM SCHOOL

This document is to be digitally signed by the Secretary of the Society/ Trust/ Company.

SRI ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA SWAMIJI
Date: 2022.12.11 23:19:29
+05'30'

प्रेषक,

ओ0पी0द्विवेदी,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 31-12-2020

विषय :- BGS Vijnatham School, Plot No.-2, Techzone-VII, Greater
Noida को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक
14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 31-12-2020 में लिये गये
निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय
लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (5) फीस उन्ही मर्दों में चार्ज किय जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मर्दों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
- (6) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA SWAMIJI
Date: 2021.06.22 23:37:18
+05'30'

Manager
BGS Vijnatham School

- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।
- (12) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
- (13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ०पी०द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पुष्ठांकन संख्या- 5692/मं०स० (265)/2020 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (6) प्रबन्धक, BGS Vijnatham School, Plot No.-2, Techzone-VII, Greater Noida।

(ओ०पी०द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Ukharana
PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

KUP
Manager
BGS Vijnatham School

SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA SWAMIJI
Date: 2021.06.22 23:39:34
+05'30'

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक/बे0शि0/9302-03 /2021-22 दिनांक 30 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्धक, बी0जी0एस0 विज्ञातम् स्कूल, प्लॉट नम्बर-2 टेकजॉन-7 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2021 द्वारा शासनोदश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण/स्थाई करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेखानुसार इस कार्यालय के पत्रांक /मान्यता/16732-34/2019-2020 दिनांक 31.03.2019 द्वारा उक्त विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक की मान्यता तीन वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम रूप से प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को विद्यालय के आरम्भ से अद्यतन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस आशय का प्रबन्धक द्वारा शपथ पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त शासनादेश एवं प्रबन्धक द्वारा शपथ पत्र भी उपलब्ध कराये गये अपने विद्यालय सम्बन्धी अद्यतन प्रपत्रों के आधार पर उक्त विद्यालय का मान्यता कोड GJHS-581 है, की मान्यता को स्थायी समझा जायेगा एवं भविष्य में पत्रांक/मान्यता/16732-34/2019-2020 दिनांक 31.03.2019 में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानकों का पालन एवं शासन द्वारा जारी किये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

Digitally signed by SRI
SRI ANANDANATHA ANANDANATHA SWAMIJI
SWAMIJI

Date: 2021.09.30 21:53:49
+05'30'

भवदीय,

(धर्मेन्द्र सक्सेना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. प्रबन्धक, बी0जी0एस0 विज्ञातम् स्कूल, प्लॉट नम्बर-2 टेकजॉन-7 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

Uthuvane

PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

(धर्मेन्द्र सक्सेना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Kellu
Manager
BGS Vijnatham School

पत्रांक / मान्यता / 16732-34

/2019-20

दिनांक 31-03-2019

original

प्रबन्धक,

बी0जी0एस0 विज्ञातम् स्कूल,

प्लॉट नम्बर 2,

टेकजॉन-7 ग्रेटर नोएडा,

जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 30.08.2018 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश एवं मण्डलीय मान्यता समिति, की बैठक दिनांक 29.03.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2019-2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।


PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA SWAMIJI
Date: 2021.06.22 23:40:29
+05'30'


Manager
BGS Vijnatham School

जाना।

(VI)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ,और

(viii)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	=	60000 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	=	10180 वर्ग मी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	=	शेष क्रीड़ा स्थल
कक्षाओं की संख्या	=	19
प्राध्यापक-सहकार्यालय- सहभण्डागार के लिए कक्ष	=	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	=	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	=	उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	=	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	=	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेल कूद, उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	=	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13- विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **G.J.H.S -** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।
17- स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें-

गणनापत्र-2017 का धारा-6 क प्रस्तर-15 म प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहताधारा अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

- (ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।
- (ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पीओएफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।
- 18- शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हों। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:-
- 1-शिक्षण शुल्क, 2-महंगाई शुल्क 3-विकास शुल्क 4-बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6-विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8-क्रीडा शुल्क, 9-परीक्षा/मूल्यांकन, 10- विद्यालय समारोह/उत्सव, 11-विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर/संगीत आदि।
- 19- शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
- 20- प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय भवन और अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक मानकों का विधिवत अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिनका निरीक्षण समय-समय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- 21- प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी/कूटरचित/मिथ्या पाये जाते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पू0सं0/ बे0शि0/ /2019-20 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर।

Uthuvana
PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by
SRI ANANDANATHA
SWAMIJI
Date: 2021.06.22
23:42:54 +05'30'

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Manager
BGS Vijnatham School


No. S.A.230/84-85

Dated 3.9.1984

C E R T I F I C A T E

THIS is to certify that Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust,
Adi Chunchanagiri, Bellur Hobli, Nagamangala Taluk is registered
in the Office vide Registration No 891/73-74 on 15.1.1974 under
Trust Act.

The above Original Trust deed has been Registered in this Office
as No.891/73-74 copied in Book I Volume No.132 Page No 236 to
244.



Radhakrishna
Sub Registrar
BELLUR
3/9/84

Uthuvano
PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

K. S. S.
Manager
BGS Vijnatham School

SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA SWAMIJI
Date: 2021.06.23 00:51:17
+05'30'

CERTIFICATE OF LAND

File No. 74

Date: 01.05.2023

Certified that the land measuring 60000 square metres is owned by the Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust fully described in the schedule mentioned herein after with the following details:

Sr.No.	Particulars	Details
1	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s)	Plot No.2, Sector Techzone 7, Greater Noida(West), Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-203207
2	Name of street//village, sub Division, District and State	Bisrakh Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh
3	In terms of (give details of the document/deed i.e. Sale Deed/Conveyance Deed/Gift Deed/ LeaseDeed (with period in terms of no. of years) /Sub lease (with period in terms of no. of years) Allotment Letter etc.	LEASE DEED 90 YEARS Allotment No.INS10-1400002 Date: 05-08-2014
4	Registration details: Duly registered on Executed by Serial No. Book no. Volume no. etc	17/10/2014 Greater Noida Industrial Development Authority, Gautam Buddha Nagar and registered in the office of Sub Registrar, Gautam Buddha Nagar 32143 01 17009 Pages 193 to 222

It is certified that the said entire land comprise of a single plot of land. It is further certified that BGS Vijnatham School is located on the abovementioned plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 60000 Square meters is bounded as follows:

North : Plot No. 3 and Plot No. 5

East : Plot No. 7

West : Road

South : Road

DM/ ADM/ SDM/ TEHSILDAR/ NAIB TEHSILDAR/ REGISTRAR/ SUB- REGISTRAR/ EQUIVALENT LAND AUTHORITY

महोदय,

प्लॉट संख्या 2, क्षेत्र टेकजोन 7 ग्रेटर नोएडा वैड गौतमबुद्धनगर में
प्लॉट नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित है, जिसकी चतुर्दिक् सीमा निम्न
उत्तर - प्लॉट संख्या 3 व प्लॉट संख्या 5, पूरव में प्लॉट संख्या 7 व पश्चिम व दक्षिण
में सड़क स्थित है। आगुण कंग में अंकित आपकी दृष्टि के लिए है।

Stamp and Signature

Name and Designation of Officer :

Name of District: Gautam Buddha Nagar

39.4.2022
लेखपाल
तहसील-दादरी
क्षेत्र-4.त.व.स.

01/05/23
दादरी

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/132482/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/28643/DD

दिनांक: 26-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स BGS VIJNATHAM SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता PLOT NO-02,TECHZONE-07,GREATER NOIDA

तहसील - DADRI जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BGS VIJNATHAM SCHOOL	3	0	12 mt.

तथा प्लॉट एरिया 60000 sq.mt है। भवन का अधिभोग BGS VIJNATHAM SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 12-04-2025 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Harisha K C के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-04-2025 से 18-04-2028 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : मुख्य/ अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन NBC-2005 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम2022 नियमावली-2024 के अनुसार भूतल/प्रथम/द्वितीय तल तक जिसकी ऊँचाई 12.00 मीटर हेतुएन0ओ0सी0निर्गत किया जा रहा है।1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें।2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय।3- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-04-2025
स्थान : MEERUT

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

19-04-2025

पत्रांक: 267

/जॉच/2020-21 दिनांक- 15/3/2021

प्रमाण-पत्र

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रबन्धक, BGS VIJNATHAM SCHOOL Plot no 2 Techzone-07 Greater Noida West Gautam Budh Nagar के प्रार्थना-पत्र एवं शासनादेश संख्या-419/79-06-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 एवं तत्पश्चात् निर्गत आदेशों के क्रम में इनके स्कूल भवन का निरीक्षण किया। उक्त भवन कालम बीम व आर0सी0सी0 स्लैब का बना हुआ है। उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानकों के अनुरूप बना हुआ हुआ है।

15-3-2021
सहायक अभियन्ता-द्वितीय
रूपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा
नहर खुर्जा।

Uthurana
PRINCIPAL
BGS VIJNATHAM SCHOOL

SRI
ANANDANATH
HA SWAMIJI

Digitally signed by SRI
ANANDANATHA
SWAMIJI
Date: 2021.06.23
00:49:39 +05'30'

Manager
BGS Vijnatham School

**PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY
CONDITION CERTIFICATE**

No. 2170

Date: 09/05/2023


It is certified that an inspection team headed by Dr. Archana Saxena, ACOMO G.B. Nagar. **BGS Vijnatham School, Plot No.2, Tech Zone-VII, Gr. Noida (West), G.B. Nagar** on dated 09-05-2023 and found that the **BGS Vijnatham School**, has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T. Govt.

The above valid for a period of 1 Year.

Signature with Seal:-

Name:-

Designation:-


Chief Medical Officer
Gautam Budh Nagar

Chief Medical Officer

To

The Principal,
BGS Vijnatham School,,
Plot No.2, Tech Zone-VII, Gr. Noida (West),
Gautam Budh Nagar.

॥ Jai Sri Gurudev ॥

Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust (R.)



BGS VIJNATHAM SCHOOL

॥ विद्या - ज्ञान विज्ञान तन्त्रज्ञान सहितम् ॥

www.bgsvijatham.com

NUMBER OF SECTIONS

SESSION 2022-23

S.No.	Class	Number of Sections
1	1	5
2	2	3
3	3	3
4	4	3
5	5	2
6	6	2
7	7	2
8	8	1
9	9	1
10	10	1
Total		23

Principal

Minakshi Khurana

PRINCIPAL

BGS VIJNATHAM SCHOOL

Plot No.2, Tech Zone- VII, Greater Noida (West), Uttar Pradesh-203207

Ph : +917510008686, 9999096870, 9999096820

Email : connect@bgsvijatham.com

॥ Jai Sri Gurudev ॥

Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust (R.)



BGS VIJNATHAM SCHOOL

॥ विद्या - ज्ञान विज्ञान तन्त्रज्ञान सहितम् ॥

www.bgsvijatham.com

NUMBER OF SECTIONS

SESSION 2021-22

S.No.	Class	Number of Sections
1	1	3
2	2	2
3	3	2
4	4	2
5	5	2
6	6	1
7	7	1
8	8	1
9	9	1
Total		15

M. Khurana

Principal

Mipakshi Khurana
PRINCIPAL

BGS VIJNATHAM SCHOOL

Plot No.2, Tech Zone- VII, Greater Noida (West), Uttar Pradesh-203207

Ph : +917510008686, 9999096870, 9999096820

Email : connect@bgsvijatham.com







2023.01.17 09:51





**The Manager,
BGS VIJNATHAM SCHOOL
PLOT NO 2, TECH ZONE -VII, GREATER NOIDA WEST, DIST. GAUTAM BUDH NAGAR, U.P.-203207
UTTAR PRADESH,GAUTAM BUDH NAGAR , 203207
(M: 9999096820)**

SUBJECT: -FRESH AFFILIATION UP TO SECONDARY LEVEL-regarding.

Ref : Application No.: - SL-00406-2223 Dated:28/06/2021

Sir/Madam,

This is with reference to school application on the subject cited above. I am directed to convey approval of the Board for Fresh Affiliation Up to Secondary Level as per details given below :

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	2133804
School No	61508
Affiliated for	Secondary School Examination Class 1 to 10
Category	Fresh Affiliation
Period of affiliation	01.04.2021 to 31.03.2026
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX	1 April,2021
Year and Month in which first batch of Class-X will appear in board examinations	1 April,2023

The above is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
7. Concerned Regional Office is requested to create new email id of school as per direction issued by controller of examination. This E Mail ID is used for communication with CBSE only.
“The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms”.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28

D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with 'H' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
· The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.				
· The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.				
· For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

Important Notes : 1. The total number of section of the school shall be restricted to 31 (As per prescribed dimension) as per the number of class rooms reported during inspection and further increase shall be subjected to specific approval of the Board on the basis of the request of the school as per affiliation bye laws. 2. The school has uploaded land certificate dated 16-03-2020 of 60000 sq mtrs of land in favour of school society issued sub-registrar, Greater Noida, GB Nagar UP, wherein, name of the school and the compactness of the plot is not reflected. However, the school has uploaded revised land certificate dated 15-09-2021 with the similar land area issued by Ms. Suman Bhandhari, Manager- I GNIDA in the mandatory disclosure section on the school website. Thus, the school is directed not to remove the same from its website in future. 3. The school has uploaded fire safety certificate which is expired on 17-06-2021. Thus, the school is directed to obtain renewed copy of the same and upload in School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

*This is an electronically generated document. It does not need any signature.
To verify the authenticity of the document , please visit (<http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport>).*

Print